

सभी प्रस्तावों को संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित किया जाता है और वित्तीय सहमति के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा कंपनी के प्रतिनिधि के अधिकार के अनुसार प्रस्ताव को अनुमोदित/मंजूरी दी जाती है।